न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री जयवर्धन बडलावाला पिता श्याम मनोहर व्यास निवासी आजाद मोहल्ला, भोपालगंज भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :–132/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 1. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 26.03.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 2. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से चाही गयी सूचना के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक माह की समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 26.03.2025 में चाही गयी सूचना के विरूद्व प्रथम अपील दिनांक 01.09.2025 को प्रस्तुत की गयी, जो त्रुटि पूर्ण है। ना ही विलम्ब को कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना से अवगत कराया जा चुका है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी विहीत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को अवगत करा दिये जाने से अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24–09–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	